माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रेषित :– समस्त संयुक्त निदेशक शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक), मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

क्रमांक : एसीए/सांख्यिकीय/विद्यार्थी प्रतियोगिता/2019 दिनांक : दिसम्बर, 2019

विषय :– विद्यार्थियों के लिये सृजनात्मक प्रतियोगिताएँ।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती वर्ष के उपलक्ष में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा सत्र 2019–20 में राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक एवं सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है :–

(1) निबंध प्रतियोगिता
(2) आशुभाषण–प्रतियोगिता
(3) क्विज (प्रश्नोत्तरी) प्रतियोगिता
(4) चित्रकला प्रतियोगिता
(5) एकल गीत प्रतियोगिता

सत्र 2019–20 हेतु :–

(6) नाट्य प्रतियोगिता (एकांकी)
(7) वाद विवाद प्रतियोगिता
(8) डायरी/देनंदिनी लेखन प्रतियोगिता

प्रतियोगिता आयोजन हेतु निर्देश

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्रों में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के स्थान एवं तिथियों का निर्धारण करेंगे तथा प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात् जिले का सम्पूर्ण परिणाम एवं प्रतिवेदन निदेशक शैक्षिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगे।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि ब्लॉक स्तर पर न्यूनतम 5 विद्यालय प्रतियोगिता में सम्मिलित हो।
3. ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात् सम्बन्धित संस्था प्रधान विजेता रहे प्रथम एवं द्वितीय विद्यार्थियों की सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं विजेता रहे विद्यार्थी के शाला प्रधान को प्रेषित करेंगे तथा जिला स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु आदेशित करेंगे।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतियोगिता आयोजन की तिथियों की सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को आयोजन दिवस से 15 दिवस पूर्व देंगे ताकि बोर्ड अपने प्रतिनिधि को इन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित कर सकें।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के लिए विद्यालय का चयन कर प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथियों का निर्धारण करेंगे।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं की समुचित व्यवस्था करेंगें एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे।

7. एक विद्यालय से एक प्रतियोगिता में एक विद्यार्थी, वाद विवाद में पक्ष एवं विपक्ष के लिए एक–एक विद्यार्थी एवं नाट्य प्रतियोगिता के लिए एक दल ही भाग ले सकेगा।
8. ब्लॉक एवं जिला स्तरीय निबन्ध, आशुभाषण, वाद विवाद, डायरी लेखन व चित्रकला के शीर्षक प्रतियोगिता स्थल पर ही बताये जावें।
9. शैक्षिक क्षेत्र में निष्णात, अनुभवी, उच्च पदस्थ, यथासंभव स्थानीय व्यक्तियों को ही निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया जावे।
10. जिन विद्यालयों के छात्र प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उन विद्यालयों के शाला प्रधान व शिक्षकों को निर्णायक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाये।
11. प्रतिभागियों के साथ आने वाले अभिभावकों व एक से अधिक संख्या में आने वाले दलनायकों को सभी व्यवस्थाऐं (आवास व भोजन) स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

विशेष :– 1. संबंधित विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
2. ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर आयोजन पश्चात् इन प्रतियोगिताओं के संबंध में अलग–अलग प्रतिवेदन बोर्ड को प्रेषित किए जावें।

प्रतियोगिताएँ तीन स्तर पर आयोजित होंगी :–

1. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता– (पंचायत समिति स्तर पर एवं नगरीय खण्ड स्तर पर) (आयोजन – दिसम्बर 2019/जनवरी 2020)

(अ) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने–अपने क्षेत्र में उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन की समुचित व्यवस्था करेंगे। जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित/संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय उक्त प्रतियोगिताओं के केन्द्र होंगे तथा वहाँ के संस्था प्रधान प्रतियोगिता के संयोजक होंगे। इन केन्द्रों पर उस पंचायत समिति परिक्षेत्र के विद्यालय भाग लेंगे।

(ब) शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हेतु संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्राधीन आने वाले ऐसे लगभग 40 विद्यालयों का समूह बनाकर उसे एक ब्लॉक मानते हुए ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवायेंगे। एक से अधिक समूह बनाने की स्थिति में, प्रत्येक समूह में विद्यालयों की संख्या यथा सम्भव समान रखी जावे।

(स) इन प्रतियोगिताओं में राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों के संस्कृत शिक्षा सहित कक्षा 9 से 12 तक के नियमित विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। संस्था प्रधान अपने स्तर पर चयन कर अपने विद्यालय से इन प्रतियोगिताओं में एक–एक प्रतिभागी/दल भेजेंगे। **एक विद्यार्थी किसी एक ही प्रतियोगिता में भाग ले सकेगा।**

(द) ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी को विद्यालय में नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण–पत्र अपने संस्था प्रधान से प्राप्त कर संबंधित संयोजक को प्रस्तुत करना होगा।

(य) ब्लॉक संयोजक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर ओयाजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम , पते आदि की सूची निर्धारित प्रपत्र में प्रतियोगिता समाप्ति के तत्काल पश्चात् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को तथा विजेता विद्यार्थी एंव उसके विद्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे। **ब्लॉक (पंचायत समिति स्तर पर –नगरीय खण्ड स्तर पर) में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे।**

नोट :– (1) शहरी क्षेत्र का आशय उन स्थानों से है जहाँ नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका स्थित हों।
(2) बोर्ड से सम्बद्ध सभी राजकीय ओर अराजकीय शिक्षण संस्थाओं को खण्ड स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य है। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर

आयोजन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन निदेशक (शैक्षिक) मा.शि.बोर्ड को आयोजन समाप्ति के एक सप्ताह में प्रेषित करना होगा।

प्रतिवेदन का प्रारूप :–

(1) आयोजन स्थल का नाम
(2) आयोजन तिथियां
(3) भाग लेने वाले विद्यार्थिंयों के नाम मय विद्यालय के नाम
(4) प्रतियोगिता के निर्णायकों के नाम व पद
(5) प्रतिभागी विद्यार्थिंयों की पृथक–पृथक संख्या एवं नाम
(6) विजेता विद्यार्थी और उनके विद्यालय का पूरा नाम तथा निवास का पूरा पता मय दूरभाष नम्बर
(7) प्रतियोगिता के सम्बन्ध में अन्य सुझाव

2. जिला स्तरीय प्रतियोगिता– (आयोजन – जनवरी 2020/फरवरी 2020)

(क) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा निर्धारित विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का केन्द्र होगा तथा उस विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यक्रम के संयोजक होंगे।

(ख) जिला स्तरीय संयोजक प्रधानाचार्य, ब्लॉक तथा नगरीय खण्ड स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय रहे विद्यार्थिंयों को जिला स्तर पर आमंत्रित करेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के **निर्देशानुसार संयोजक प्रधानाचार्य उक्त प्रतियोगिताओं का निर्धारित तिथि पर आयोजन कर प्रतियोगिता** समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम, पिता का नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, निवास का पता व दूरभाष नम्बर सहित की सूची मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) व निदेशक (शैक्षिक), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर एवं विजेता विद्यार्थी के विद्यालय के संस्था प्रधान को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे।

नोट :– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला स्तर पर आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, जो समस्त प्रतियोगिताओं के संचालन के लिये उत्तरदायी होगा। विवाद की स्थिति में पर्यवेक्षक का निर्णय ही मान्य होगा।

3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता :– (मई/जून, 2020 में प्रस्तावित)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित विद्यालय तथा तिथि पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। **जिला स्तर पर आयोजित निबंध, आशुभाषण, क्विज, चित्रकला एवं एकल गीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आमंत्रित किये जायेंगे। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय बोर्ड का मान्य होगा।**

4. आयोजन व्यय :–

ब्लॉक एवं जिला स्तर के आयोजक विद्यालयों को आयोजन व्यय राशि प्रतियोगिता आयोजन के उपरान्त परिणाम प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा सीधे ही सम्बन्धित विद्यालयों को चैक द्वारा भिजवायी जायेगी।

ब्लॉक स्तर पर– रूपये 400 जिला स्तर पर– रूपये 1500

इस राशि का **उपयोगिता का प्रमाण–पत्र ''निर्धारित प्रारूप'' में बनाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के प्रति हस्ताक्षर कराकर परिणामों के साथ निदेशक (शैक्षिक), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम भिजवायें।**

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न होने पर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने जिले में ब्लॉक की संख्या का निर्धारण कर सूची निदेशक (शैक्षिक) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करें।

5. पुरस्कार– छात्रवृत्ति राशि :–

(क) जिला स्तर – जिला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र– छात्रा को प्रमाण– पत्र एवं निम्न प्रकार से (एक शिक्षा सत्र 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति देय होगी।

1. प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता – रू. 300/– (रूपये तीन सौ मात्र) प्रति माह (10 माह– एक शिक्षा सत्र के लिये)
2. द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता– रू. 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) प्रतिमाह (10 माह– एक शिक्षा सत्र के लिये)
3. तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता– रू. 200/– (रूपये दौ सौ मात्र) प्रतिमाह (10 माह– एक शिक्षा सत्र के लिये)

विशेष नोट :– प्राप्तकर्ता विद्यार्थी को मिलने वाली अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियाँ इस छात्रवृत्ति से अप्रभावित मानी जावें।

(ख) राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण–पत्र एवं क्रमशः रू. 11,000/– रू 7,500/– व रू. 5,000/– का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। यह पुरस्कार राशि जिला स्तरीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय होगी।

6. यात्रा व्यय :–

(अ) ब्लॉक एवं जिला स्तर पर : प्रतिभागी एवं प्रभारी शिक्षक को प्रतियोगिता स्थल तक आने–जाने का यात्रा भत्ता राजकीय नियमानुसार संस्था द्वारा देय होगा।

(ब) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी को प्रतियोगिता स्थल तक आने–जाने का व्यय बस/रेल (सामान्य श्रेणी) का वास्तविक किराया बोर्ड द्वारा देय होगा।

(स) राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ यदि एक जिले से छात्र व छात्रा दोनों ही भाग ले रहे हैं तो महिला दलनायक को भेजा जाना अनिवार्य होगा। दलनायकों को यात्रा भत्ता राजकीय नियमानुसार बोर्ड द्वारा देय होगा।

(द) राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी के साथ आने वाले वादकों को किसी प्रकार का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।

आयोज्य प्रतियोगिताओं हेतु विस्तृत नियम एवं निर्देश :–

1. निबंध प्रतियोगिता :–

(1) **विषय :–** पृष्ठांकित सूची (विषय क्षेत्र) में से पर्यवेक्षक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा शीर्षक तैयार कर उस पर निबंध लेखन करवाया जाये।

(2) **समयावधि :–** 1 घण्टा

(3) **मूल्याकंन :–** तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाये। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी होने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिये एक ही का चयन करें।

मूल्यांकन के आधार बिन्दु निम्नानुसार है :–

(अ)	प्रस्तावना	–	10 अंक
(ब)	विषय वस्तु	–	40 अंक
(स)	प्रस्तुतीकरण एवं विषय संयोजन	–	20 अंक
(द)	भाषा एवं शैली	–	20 अंक
(य)	उपसंहार	–	10 अंक
	योग	–	100 अंक

2. आशुभाषण प्रतियोगिता :–

(1) विषय :– पृष्ठांकित विषय क्षेत्र की सूची में से शीर्षक तैयार कर अलग–अलग पर्चियां तैयार करके पूर्व में ही रख ली जायें तथा प्रतिभागी विद्यार्थी स्वयं इन पर्चियों में से एक पर्ची उठाकर उस पर अंकित शीर्षक पर अपना आशुभाषण प्रस्तुत करें। आशुभाषण की प्रस्तुति से पूर्व शीर्षक की घोषणा प्रतियोगिता संयोजक द्वारा की जाये।

(2) **प्रतिभागी क्रम निर्धारण :–** प्रतिभागिता हेतु पर्चियां पर क्रम संख्या अंकित कर प्रत्येक प्रतिभागी को एक–एक पर्ची उठाने दी जाये तथा उस पर्ची पर अंकित क्रम संख्या को ही कोड नम्बर मानते हुए आमंत्रित किया जाये। निर्णायकों को दी जा रही मूल्यांकन सूची में प्रतिभागी के कोड नम्बर को ही अंकित किया जाये।

(3) समय सीमा अधिकतम 5 (पाँच) मिनट प्रति प्रतिभागी (प्रत्येक प्रतिभागी को उसकी प्रस्तुति से पाँच मिनट पूर्व शीर्षक की पर्ची प्रदान की जायेगी)

(4) आशुभाषण हेतु दिये गये विषय शीर्षकों में से ऐसे विषयों का चयन किया जाये जो प्रतिभागी के मौलिक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सहायक हो।

(5) विद्यार्थी आशुभाषण के पश्चात् शीर्षक की पर्ची अपने हस्ताक्षर कर आयोजक को जमा कराये।

(6) **मूल्यांकन – तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।**

मूल्यांकन का आधार बिन्दु निम्नानुसार है :–

(अ)	विषय वस्तु	–	40 अंक
(ब)	प्रस्तुतीकरण	–	30 अंक
(स)	भाषा शैली	–	20 अंक
(द)	समग्र प्रभाव	–	10 अंक
	योग	–	100 अंक

3. क्विज प्रतियोगिता (प्रश्नोत्तरी) :–

नियम/निर्देश :

1. पृष्ठांकित विषय क्षेत्र की सूची में से ही प्रश्न निर्माण किये जाएगे।
2. क्विज प्रतियोगिता केवल हिन्दी माध्यम में ही आयोजित होंगी।
3. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा ही जिला स्तर पर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
4. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र/छात्रा ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
5. ब्लॉक एंव जिला स्तर पर क्विज प्रश्नों का निर्माण संबंधित संयोजक (ब्लॉक हेतु) तथा जिला शिक्षा अधिकारी (जिला स्तर) करवायेंगे। प्रश्नों के निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जाये।
6. क्विज मास्टर, स्कोरर तथा टाईमकीपर की व्यवस्था आयोजन के पूर्व ही कर ली जाये।
7. क्विज प्रतियोगिता दो चरणों में होगी :–

(अ) प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :–

(1) ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर क्विज प्रतियोगिता के लिये पंजीकृत कुल प्रतिभागियों की संख्या 16 से अधिक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इससे कम संख्या होने पर केवल द्वितीय चरण की मौखिक परीक्षा ही होगी।

(2) लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनट तथा पूर्णांक 60 होंगे। प्रश्न–पत्र में बहुचयनात्मक/अति लघुत्तरात्मक प्रकार के 60 प्रश्न होगे, जो आगे उल्लेखित विषयों से ही संबंधित होंगे। ब्लॉक/जिला स्तर पर लिखित परीक्षा हेतु संयोजक/जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर प्रश्न पत्र पूर्व में ही तैयार करवायेंगे। राज्य स्तर पर यह व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जायेगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के बाद वरीयता क्रम में प्रथम 16 स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को चयनित कर उन्हें क्विज प्रतियोगिता के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाये।

(3) यदि लिखित परीक्षा में 16 वे स्थान पर एकाधिक छात्रों के समान अंक आवें तो उन्हें 10 प्रश्नों का अतिरिक्त समय 10 मिनट देकर उनमें से एक छात्र का चयन कर लेंवे।

(ब) द्वितीय चरण– मौखिक परीक्षा :–

(i) प्रथम चरण में सफल रहे सभी 16 प्रतिभागियों की मैरिट से क्रम देंवे एवं निम्नानुसार 4 समूह बनावें

प्रथम	समूह मेरिट संख्या	–	1, 8, 9, 16
द्वितीय	समूह मेरिट संख्या	–	2, 7, 10, 15
तृतीय	समूह मेरिट संख्या	–	3, 6, 11, 14
चतुर्थ	समूह मेरिट संख्या	–	4, 5,12, 13

विशेष :– यदि प्रश्नोत्तरी हेतु 16 से कम प्रतिभागी पंजीकृत हों तो लॉटरी द्वारा क्रम निर्धारण किया जावे तथा प्रत्येक चक्र में 4 प्रतिभागियों का समूह बनाकर ''ब'' के अनुसार प्रश्नोत्तरी संचालित की जाये।

प्रत्येक समूह की मौखिक प्रश्नोत्तरी के लिये दिये गये निर्देशानुसार चक्र आयोजित करें। प्रत्येक समूह से सर्वाधिक अंक प्राप्त प्रतिभागियों के लिये अंतिम समूह बनाकर पुनः दीर्घ चक्र, दृश्य श्रव्य चक्र व त्वरित चक्र आयोजित करें। इस समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता रहेगा।

(ii) यदि मौखिक परीक्षा के अंतिम चक्र में किन्हीं 2 या अधिक प्रतिभागियों को समान अंक प्राप्त हो तो उसके लिये जब तक एक स्थान पर एक विद्यार्थी विजेता नहीं बने पुनः पृथक से त्वरित चक्र आयोजित करें।

(iii) **मौखिक परीक्षा हेतु प्रक्रिया एवं नियम :–**

1. प्रथम – दीर्घचक्र– प्रश्नों की संख्या 4, प्रति प्रश्न अंकभार–10, पूर्णाक 40, उत्तर देने की अवधि 20 सैकण्ड प्रति प्रश्न। इस चक्र में क्विज के लिए प्रस्तावित विषय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रतिभागी को क्रमशः एक–एक करके 4 प्रश्न पूछे जावें।
2. द्वितीय– दृश्य श्रव्य चक्र : प्रश्नों की संख्या– 4 (सभी प्रतियोगिताओं के लिए उभयनिष्ठ) प्रति प्रश्न अंक भार 10 पूर्णाक 40, ऋणात्मक अंक गलत उत्तर देने पर प्रति प्रश्न–5 अंक, उत्तर देने की अवधि 10 सैकण्ड।

   इस चक्र में प्रतिभागी के समक्ष दृश्य, श्रव्य सामग्री, प्रयोग प्रदर्शन, चार्ट, चित्र, यंत्र, उपकरण, स्लाइड आदि का प्रदर्शन करें। प्रदर्शन के बाद सामग्री हटा लेंवे तथा प्रदर्शित सामग्री आधारित प्रश्न पूछे जावें। प्रश्न पूछने के बाद 10 सैकण्ड तक उत्तर की प्रतीक्षा करें। जो प्रतिभागी पहले घंटी बजावे उत्तर देने का अवसर उसे देवें।

   यदि 10 सैकण्ड की अवधि में कोई भी प्रतिभागी घण्टी नहीं बजावे तो दूसरा प्रदर्शन प्रस्तुत किया जावें। एक ही प्रदर्शन पर अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जा सकते है। यदि पहले घण्टी बजाने वाला प्रतिभागी गलत उत्तर देता है तो उसके द्वारा पूर्व अर्जित अंकों में से 5 अंक काट लेंवे। किसी भी स्थिति में दूसरे प्रतिभागी को उत्तर देने का अवसर नहीं दिया जावे।

3. **तृतीय–त्वरित चक्र :** प्रश्नों की संख्या– 10 तथा प्रति प्रश्न अंकभार –5 पूर्णाक–50, समय–एक मिनट अधिकतम

त्वरित चक्र में क्विज मास्टर शीघ्रतापूर्वक प्रश्न पूछता जायेगा। प्रतिभागी को शीघ्र गति से उत्तर देना होगा। एक मिनट में जितने प्रश्नों को वह सही उत्तर देगा उसी के अनुरूप उसे अंक प्राप्त होंगे। इस चक्र में अधिकतम 10 प्रश्न निर्धारित हैं। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में समय नष्ट करता है तो उसके हिस्से में कम प्रश्न आयेंगे। इस चक्र में ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रतियोगिता के दौरान क्विज नियंत्रक/क्विज मास्टर का निर्णय ही मान्य होगा।

निबंध/आशुभाषण/क्विज़/नाट्य प्रतियोगिता/वाद–विवाद/डायरी लेखन हेतु प्रस्तावित विषय क्षेत्र :–

1. इतिहास :–

– **प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक एंव आध्यात्मिक वैभव और ज्ञान विज्ञान**
– **भारत का स्वाधीनता संग्राम**
– **भारत के वीर एवं वीरांगनाएं**
– **राजस्थान की प्रमुख वीरांगनाएं एवं क्रांन्तिकारी**
– **राजस्थान का प्राचीन गौरवशाली इतिहास**
– **स्वाधीनता संग्राम एवं राजस्थान**
– **प्राचीन भारत में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म**
– **भारत में भक्ति एवं सूफी विचारधारा**
– **भारत और राजस्थान में स्थित ऐतिहासिक इमारतें**
– **प्राचीन कृतियाँ एवं उनके लेखक**
– **राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्त्रोत**

2. भाषा एवं संस्कृति

– राजस्थान की संत परम्परा एवं समाज सुधारक
– राजस्थान के लोक देवी देवता एवं सामाजिक जागरण
– राजस्थान एवं भारत की लोक संस्कृति–प्रमुख त्यौहार, मेले, परिधान, एवं रीति रिवाज, लोकसंगीत, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक कलाएँ, चित्रकला एंव बोलियाँ
– राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, हस्तशिल्प एंव हस्तकलाएँ
– राजस्थान के विकास में बाधक सामाजिक कुरीतियाँ एवं निराकरण
– सामान्य हिन्दी व्याकरण, प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियाँ

3. अर्थव्यवस्था

– राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग
– राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन, विविध सरकारी योजनाएं
– जैविक कृषि एवं औषधीय पौधों की खेती, गौ संवर्द्धन
– राजस्थान में ऊर्जा विकास की संभावनाएं समस्याएं, सुझाव एवं आपदा प्रबंधन
– राजस्थान में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीति
– प्राचीन राजस्थान में जल संग्रहण की तकनीक एवं वर्तमान में उसकी उपादेयता
– राजस्थान के आर्थिक विकास की बाधाएं– जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं बेरोजगारी
– सूचकांक (Index no.)
– सांख्यिकीय – माध्य, माध्यिका, बहुलक
– उपभोक्ता संरक्षण (जागरूकता)

4. विज्ञान एंव गणित

– दैनिक जीवन में विज्ञान
– भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनका योगदान
– सूचना प्रौद्योगिकी में भारत के बढ़ते चरण
– भारत के मिसाइल एंव उपग्रह कार्यक्रम

– जैव प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम वैज्ञानिक शोध
– प्रारम्भिक गणित– सरल, तार्किक ज्ञान, जीवनोपयोगी, गणित, संख्या ज्ञान, ज्यामिति, आकृतियां
– कम्प्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान

5. भूगोल

– राजस्थान के वन, वन्य जीव एवं उनका संरक्षण, प्रमुख अभ्यारण
– राजस्थान की नदियाँ, पर्वत, झीलें, खनिज, वन
– राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र एवं जलवायु
– राजस्थान के मानव संसाधन–जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात की समस्या एवं निराकरण
– राजस्थान के किले, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल
– प्राचीन राजस्थान में पर्यावरण चेतना व वर्तमान में इसकी उपादेयता
– राजस्थान की जनजातियाँ
– राजस्थान में सिचांई के साधन (परियोजनाऐं)

6. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

– योग एवं स्वास्थ्य
– खेलकूद एवं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अलंकार एवं पुरस्कार
– राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति सजगता, स्वच्छता अभियान, पल्स पोलियो, कुष्ठ रोग निवारण, एड्स, परिवार नियोजन
– महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, कुपोषण एवं संतुलित आहार
– व्यसन मुक्ति (तम्बाकू, नशा मुक्ति, धूम्रपान निषेध आदि)
– स्वच्छता और स्वास्थ्य

7. राजनैतिक

– राजस्थान में राजनैतिक चेतना का उदय एवं राजनैतिक एकीकरण
– राजस्थान में पंचायतीराज एंव ग्राम स्वराज में जन सहभागिता बढ़ाने के उपाय
– शिक्षा का विस्तार एवं राजनैतिक विकास के अर्न्तसम्बन्ध
– स्त्री मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु सुझाव
– राजस्थान के राजनैतिक विकास के मार्ग में विद्यमान बाधाएं एवं समाधान

8. समसामयिकी

– राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान
– सांस्कृतिक प्रदूषण एवं निवारण
– शैक्षिक विकास की योजनाएँ
– महिला सशक्तिकरण, आवश्यकता एवं उपाय
– समसामयिकी घटनाचक्र
– भ्रष्टाचार एवं कालाधन की समस्या एवं निराकरण
– अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद
– आर्थिक उदारीकरण एंव स्वदेशी आन्दोलन
– बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कसता शिकंजा एंव स्वदेश उद्योगों पर प्रभाव

– भारत एवं राज्य सरकार के कम्प्यूटर के सामान्य विकास के विभिन्न कार्यक्रम
– बदलते परिवेश में मीडिया की सार्थकता
– सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय एकता
– युवा शक्ति का राष्ट्रोत्थान में योगदान

9. महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष में प्रस्तावित विषय क्षेत्र

1. महात्मा गांधी का जीवन परिचय
2. महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा
3. महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में योगदान
4. महात्मा गांधी का दर्शन
5. महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन
6. महात्मा गांधी द्वारा रचित साहित्य
7. महात्मा गांधी के मूल्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता
8. सामाजिक समरसता के विकास में महात्मा गांधी का योगदान
9. महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य
10. महात्मा गांधी व सत्याग्रह
11. अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी

4. चित्रकला प्रतियोगिता–

(1) विषय – पृष्ठांकित सूची (विषय क्षेत्र) में से पर्यवेक्षक/संयोजक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता हेतु शीर्षक चयनित किया जायेगा। प्रतिभागी को चयनित शीर्षक के अनुसार ही चित्रांकन करना होगा।

(2) समयावधि– 2 घण्टे

(3) मूल्यांकन– तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाये। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।

मूल्यांकन के आधार बिन्दु :–

(अ)	विषय वस्तु	–	20 अंक
(ब)	रेखांकन	–	20 अंक
(स)	संयोजन	–	20 अंक
(द)	समग्र प्रभाव	–	40 अंक
	योग	–	100 अंक

(4) चित्रण सामग्री :–

(1) रंग, ब्रुश, पेन्सिल व अन्य वांछित उपकरण की व्यवस्था प्रतिभागी स्वयं करेगा।

(2) चित्रण हेतु ¼ इम्पीरियल साईज की ड्रॉईग शीट काम में लानी होगी, जिसे संयोजक द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

(5) विषय क्षेत्र :–

पर्यावरण, जनसंख्या, वन्य प्राणी संरक्षण, प्रकृति एवं समाज, राजस्थान की परम्परागत चित्रण शैलियां, लोक कला (Folk Art) वर्तमान राष्ट्रीय एंव सामाजिक समस्याएं, जल संग्रह एंव संरक्षण, भूमण्डलीकरण, दैनिक जीवन एवं विज्ञान, महिला सशक्तिकरण, उत्सव, मेले, सामाजिक कुरीतियां, खेल (पारम्परिक एवं आधुनिक)

(5) एकल गीत प्रतियोगिता :–

(1) विषय क्षेत्र – (1) देश भक्ति गीत
(2) राजस्थानी लोकगीत
(3) भजन (आध्यात्मिक)
(4) प्रेरणादायी गीत

(2) वाद्य यंत्र एंव वादक

(अ) अधिकतम तीन वाद्य यंत्र (पारम्परिक अथवा आधुनिक कोई भी)
(ब) वाद्य यंत्रों एवं वादकों की व्यवस्था प्रतिभागी स्वयं करेंगे।

(3) मूल्यांकन के बिन्दु :–

1.	गीत चयन उच्चारण	–	20 अंक
2.	लय एंव ताल	–	30 अंक
3.	स्वर	–	30 अंक
4.	प्रस्तुतीकरण/समग्र प्रभाव	–	20 अंक
	योग	–	100 अंक

(4) समयावधि :– 3 से 5 मिनट

(5) मूल्यांकन – तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन का कुल योग कर निर्णय दिया जाये। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।

नोट :– 1. सभी प्रकार के राजस्थानी लोकगीत, देशभक्ति गीत एवं भजन मान्य होंगे।
2. फिल्मी गीत रचनाऐं मान्य नहीं होंगी। (ब्लॉक व जिला स्तर पर इसका विशेष ध्यान दिया जायें)

(6) नाट्य प्रतियोगिता (एकांकी) :–

1. नाट्य प्रस्तुतीकरण का विषय महात्मा गांधी जी के विचारों एवं दर्शन पर आधारित होगा।
2. नाट्य प्रस्तुतीकरण की अवधि न्यूनतम 10 मिनट एवं अधिकतम 15 मिनट निर्धारित है। समय का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। मंच सज्जा हेतु 5 मिनट एवं उसे हटाने हेतु 5 मिनट अतिरिक्त प्रदान किए जाएगे।
3. स्क्रीप्ट (पाण्डुलिपि) – मंचित किए जाने वाले नाट्य की पाण्डुलिपि की हार्डकॉपी (हस्तलिखित/टाईपशुदा) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वेश–भूषा, मंच सज्जा तथा संगीत अथवा ध्वनि प्रभाव की व्यवस्था स्वयं टीम द्वारा की जाएगी।
5. नाट्य प्रस्तुतीकरण की भाषा हिन्दी होगी।
6. प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 5 व अधिकतम 6 हो सकती है।
7. प्रतियोगिता में एकांकी को सम्मिलित किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक को नहीं।
8. एक शिक्षक/शिक्षिका को नाट्य दल में साथ निर्देशक के रूप में साथ में आने की अनुमति होगी।

9. मुल्यांकन के बिन्दु –
    1. विषय–वस्तु – 20
    2. अभिनय – 30
    3. संवाद–सम्प्रेषण – 20
    4. वेशभूषा – 10
    5. समग्र प्रभाव – 20

    योग 100 अंक

(7) वाद–विवाद प्रतियोगिता :–

1. वाद–विवाद का विषय :– पृष्ठांकित सूची (विषय क्षेत्र) में से पर्यवेक्षक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा शीर्षक तैयार कर उस विषय पर वाद विवाद करवाया जावें।
2. एक विद्यालय, ब्लॉक, जिले से एक श्रेष्ठ वक्ता पक्ष एवं एक श्रेष्ठ वक्ता विपक्ष, कुल दो प्रतियोगी, प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
3. **प्रतिभागी क्रम निर्धारण :–** प्रतिभागियों को कोड नम्बर आवंटित किए जाए तथा उन्हें संबंधित विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में ही अपने विचार प्रस्तुत करने को निर्देशित किया जाए।
4. प्रत्येक प्रतिभागी को 5 मिनट का समय दिया जाए। प्रारम्भ के 4 मिनट पश्चात् एक कम अवधि की घंटी बजेगी तथा उसके 1 मिनट पश्चात् एक लम्बी घण्टी बजेगी तत्पश्चात् प्रतिभागी को अपना कथन समाप्त करना होगा।
5. प्रतिभागी को लिखित रूप से अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं होगी।
6. **मूल्यांकन :–** तीन निर्णायकों द्वारा किये गए मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।
7. मूल्यांकन का आधार बिन्दु निम्नानुसार है –
    1. विषय वस्तु – 40 अंक
    2. प्रस्तुतीकरण – 30 अंक
    3. भाषा शैली – 20 अंक
    6. समग्र प्रभाव – 10 अंक

    योग 100 अंक

(8) डायरी/देनंदिनी लेखन प्रतियोगिता :–

1. विषय – महात्मा गांधी के जीवन क्षेत्र से संबंधित पृष्ठांकित विषय क्षेत्रों पर डायरी लेखन किया जाएगा।
2. समयावधि – 1 घण्टा
3. शब्द सीमा – अधिकतम 750 शब्द

4. मूल्यांकन – तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय किया जाये। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी होने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही का चयन करें।
5. मूल्यांकन के आधार बिन्दु निम्नानुसार है –

1.	विषय वस्तु	20
2.	प्रस्तुतीकरण (प्रारूप अनुसार)	30
3.	विषय संयोजन	30
4.	भाषा एवं शैली	20
	योग	100 अंक

विशेष :– सभी प्रतियोगिताओं के लिए–

नियमानुसार प्रथम स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी का निर्णय लॉटरी से करने के उपरान्त भाग्यशाली प्रतिभागी को प्रथम तथा शेष अन्य (लॉटरी में अचयनित) को द्वितीय स्थान दिया जाएगा।
इस क्रम में तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता स्वतः चतुर्थ हो जाएगा।
यही प्रक्रिया द्वितीय स्थान पर लॉटरी से परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में अपनाई जावे। तृतीय स्थान पर लॉटरी से चयन की स्थिति में अचयनित प्रतिभागी को स्थानच्युत होकर संतोष करना होगा।

सचिव

क्रमांक : एसीए/सांख्यिकीय/विद्यार्थी प्रतियोगिता/ 2019 **दिनांक .....**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, शिक्षा अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, पाली, बीकानेर।
4. सम्पादक, शिविरा, बीकानेर।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

सत्र : 2019–2020

विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं के जिला स्तरीय परिणाम

जिले का नाम : .....

1. प्रतिभागी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, विद्यालय का पूरा नाम, दूरभाष नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) व निवास का पूरा पता व दूरभाष सहित प्रपत्र में अवश्य अंकित करें।

निबंध प्रतियोगिता

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

आशुभाषण प्रतियोगिता

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

क्विज (प्रश्नोत्तरी) प्रतियोगिता

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

चित्रकला प्रतियोगिता

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

एकलगीत प्रतियोगिता

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

नाट्य प्रतियोगिता (एकांकी)

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

वाद विवाद प्रतियोगिता (पक्ष)

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

वाद विवाद प्रतियोगिता (विपक्ष)

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

डायरी/देनंदिनी लेखन प्रतियोगिता

स्थान	प्रतिभागी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	निवास का पता	दूरभाष/मोबाइल नं.
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील